भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2639
06.03.2020 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन कार्ययोजनाएं

2639. श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कई पर्यावरणीय संकटों, जिसका सामना देश कर रहा है, के कारण कई प्रकार की खतरनाक स्थिति पैदा हुई है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) देश के 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य-योजनाएं (एसएपीसीसी) पहले से ही कार्यान्वित हैं। एसएपीसीसी एक नीतिगत दस्तावेज है जिसमे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किए जाने वाले अपने क्षेत्र-विशिष्ट और बहु-क्षेत्रीय (क्रॉस-सेक्टोरल) कार्यकलापों को संसूचित किया गया है। हाल ही में, मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर वर्ष 2020 के बाद के जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यकलापों के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्ययोजनाओं (एसएपीसीसी) में संशोधन लाने की प्रक्रिया आरंभ करें।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि-प्रदूषण की समस्या का समाधान करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित करना, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समय-समय पर उत्सर्जन मानकों को संशोधित करना, परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन हेतु निगरानी नेटवर्क स्थापित करना, गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि) जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधनों की शुरूआत करना, राष्ट्रीय वायु

गुणवत्ता सूचकांक आरंभ करना, बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानक लागू करना, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्टों को शामिल करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित करना, बायोमास के जलाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के तहत और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी करना, प्रमुख उद्योगों द्वारा ऑन-लाइन सतत (24X7 निगरानी उपकरणों की संस्थापना करना, दिल्ली और एनसीआर के लिए श्रेणीकृत अनुक्रिया कार्य-योजना (जीआरएपी) अधिसूचित करना, दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु व्यापक कार्य योजना (सीएपी) तैयार करना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) तैयार करना, स्वच्छ वायु अभियानों का संचालन करना आदि।

अन्य कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं-आठ मिशनों के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य-योजना का कार्यान्वयन; जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष; राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम; प्रतिपूरक वनीकरण कोष; नमामि गंगे कार्यक्रम, जल शक्ति अभियान; स्वच्छ भारत मिशन आदि।

परिणामस्वरूप, दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुल मिलाकर सुधार हुआ है जहां वर्ष 2016 में 108 की तुलना में वर्ष 2019 में 'अच्छे' से 'मध्यम' दिनों की संख्या बढ़कर 182 हो गई। PM_{10} और $PM_{2.5}$ के संबंध में, क्रमश: 18 और 12 शहरों में घटता रूझान देखा गया है। परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़ों (2014-2018) के अनुसार, पूरे देश के अधिकांश शहरों को SO_2 और NO_2 के लिए निर्धारित मानदंडों के संबंध में राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करते हुए पाया गया है। भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन में वृद्धि हुई है। भारत ने वर्ष 2005 और 2014 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 21% कमी का लक्ष्य हासिल किया है, जिससे उसने अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2005 के स्तरों से 20 से 25% तक कमी लाने के वर्ष 2020 से पूर्व के स्वैच्छिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है।

*****